



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

### गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 344

दर्ज तिथि:-08.08.2024

1. मोतीराम पुत्र अचलाराम

जाति कलबी निवासी अमरपुरा तहसील चितलवाना जिला सांचौर

खातेदारी खेत मौजा डाबली खुर्द पटवार मंडल बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र जुंजाराम

जाति जाट निवासी डाबली खुर्द पटवार मंडल बेरीगांव तहसील गुडामालानी

2. नथु पत्नी कला

3. नरींगा पुत्र कला उम्र प्रतिवादीगण बालिग

जाति कलबी निवासी डाबलीखुर्द पटवार मंडल बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक टीएजीबी शाखा धोरीमना।

5. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-28.04.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त



आराजी खसरा संख्या 78/7.0253 है0, 78/2/0.3157 है0, वाके ग्राम डाबली खुर्द तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में दिनांक 06.09.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/473 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/473 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b>                      - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 12.03.2025 को तहसीलदार गुडामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 672-675 दिनांक 02.03.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p> <p>2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 672-675 दिनांक 02.03.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
--	--

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 78/7.0253 है0, 78/2/0.3157 है0, वाके ग्राम डाबली खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित

किये गये हैं। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 135/2/3.8445 है0 वाके ग्राम थोरियों का तला मालपुरा तहसील नोखडा जिला बाइमेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मोतीराम पुत्र अचलाराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 अमरपुरा खातेदार	डाबली खुर्द	78 78/2	1.3254 0.0595	बा0सो0 बा0सो0
किता 02 रकबा 1.3849 है0				
रूपाराम पुत्र कलाराम हि0 पूर्ण जाति कलबी सा0 डाबली खातेदार	डाबली खुर्द	78/2	0.1020	बा0सो0
किता 01 रकबा 0.1020 है0				
भैराराम पुत्र जुंजाराम हि0 22705/56999 जाति जाट नथु पत्नी कला हि0 13585/56999	डाबली खुर्द	78	5.6999	बा0सो0

रहन टीएजीबी धोरीमन्ना नरींगा पुत्र कला हि0 20709 / 56999 रहन टीएजीबी धोरीमन्ना जाति कलबी सा0 देह खातेदार				
किता 01 रकबा 5.6999 है0				
नथु पत्नी कला हि0 611 / 1542 नरींगा पुत्र कला हि0 931 / 1542 जाति कलबी सा0 देह खातेदार रहन-दोनों का हिस्सा टीएजीबी धोरीमन्ना	डाबली खुर्द	78 / 2	0.1542	बा0सो0
किता 01 रकबा 0.1542 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)  
सहायक कलक्टर  
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

## सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

### गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 344

दर्ज तिथि:-08.08.2024

1. मोतीराम पुत्र अचलाराम  
जाति कलबी निवासी अमरपुरा तहसील चितलवाना जिला सांचौर  
खातेदारी खेत मौजा डाबली खुर्द पटवार मंडल बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला  
बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र जुंजाराम  
जाति जाट निवासी डाबली खुर्द पटवार मंडल बेरीगांव तहसील गुडामालानी
2. नथु पत्नी कला
3. नरींगा पुत्र कला उम्र प्रतिवादीगण बालिग  
जाति कलबी निवासी डाबलीखुर्द पटवार मंडल बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला  
बाड़मेर।
4. शाखा प्रबंधक टीएजीबी शाखा धोरीमना।
5. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:- एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 135/2/3.8445 है0 वाके ग्राम थोरियों का तला मालपुरा तहसील नोखडा जिला बाड़मेर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व

रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
मोतीराम पुत्र अचलाराम हि० पूर्ण जाति कलबी सा० अमरपुरा खातेदार	डाबली खुर्द	78 78/2	1.3254 0.0595	बा०सो० बा०सो०
किता 02 रकबा 1.3849 है०				
रूपाराम पुत्र कलाराम हि० पूर्ण जाति कलबी सा० डाबली खातेदार	डाबली खुर्द	78/2	0.1020	बा०सो०
किता 01 रकबा 0.1020 है०				
भैराराम पुत्र जुंजाराम हि० 22705/56999 जाति जाट नथु पत्नी कला हि० 13585/56999 रहन टीएजीबी धोरीमन्ना नरींगा पुत्र कला हि० 20709/56999 रहन टीएजीबी धोरीमन्ना जाति कलबी सा० देह खातेदार	डाबली खुर्द	78	5.6999	बा०सो०
किता 01 रकबा 5.6999 है०				
नथु पत्नी कला हि० 611/1542 नरींगा पुत्र कला हि० 931/1542 जाति कलबी सा० देह खातेदार रहन-दोनों का हिस्सा टीएजीबी धोरीमन्ना	डाबली खुर्द	78/2	0.1542	बा०सो०
किता 01 रकबा 0.1542 है०				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नजरी नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

ढुतीरलड डनलड डुैरलड

2024 / 344

नलरुणड दलनलंक:—28.04.2025

(कुैशव कुडर डुीनल आर.ए.एस)

सहलडक कलकटर

गुढलडललनी—डलडडेर

